मध्यप्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 31–5/2009/दो–ए (3)　　　　　भोपाल, दिनांक 6/04/2013

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– समस्त विभागाध्यक्ष,
3– समस्त जिलाध्यक्ष,
4– समस्त संभागायुक्त,

विषयः– मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी ऐसे माता–पिता जो अपने पुत्र/पुत्रियों को रक्षा सेवाओं में भर्ती कराते है, उनको दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्वि बाबत।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28. 6. 2010

000

इस विभाग के उपर्युक्त सदंर्भित पत्र द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी ऐसे माता–पिता जो अपने पुत्र/पुत्रियों को सैन्य सेवा में भर्ती कराते है, उनको पूर्व में स्वीकृत सम्मान निधि की राशि में वृद्वि करते हुए रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) प्रतिवर्ष स्वीकृत किये जाय।

उपरोक्त आदेश पर पुर्नविचार करते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, कि म0प्र0 के स्थाई निवासी केवल ऐसे माता–पिता जिनकी पुत्री सैन्य सेवा मे भर्ती होती है, उनको ही रूपये 10.000/– (रूपये दस हजार मात्र) की सम्मान निधि प्रतिवर्ष स्वीकृत की जाये।

संदर्भित परिपत्र की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

म0प्र0के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

6/04/13

(डी0 व्ही0 सिंह)
उप सचिव
म0प्र0शासन, गृह विभाग

A.A.L109